

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2022—श्रावण 4, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2022

क्रमांक एफ ए 3-35/2017/1/पाँच (49) : मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-35/2017/1/पाँच (63) दिनांक 07.12.2018 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

(क) अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 9 और 22 के समक्ष, कॉलम (3) में “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “दही, लस्सी, छाछ, उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 27, 29, 30ख, 45, 46क के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 46ख के समक्ष, कॉलम (3) में “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (v) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 77 और 78 के समक्ष, कॉलम (3) में, “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि
 “(i) सभी प्रकार के गुड, जिसमें गन्ने से प्राप्त होने वाले गुड (सामान्य गुड), पलमेरा गुड भी आते हैं उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो;
 (ii) खांडसारी चीनी उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 95 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द “मुर्की के नाम से ज्ञात है” के पश्चात शब्द “उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 97क के समक्ष, कॉलम (3) में, “यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “उनसे भिन्न, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 99 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द “शुद्धीकृत” को निरसित किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 108 के समक्ष, कॉलम (3) में “जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 118 और 122 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (xiv) क्रम संख्या 132क के समक्ष, कॉलम (3) में, “जो यूनिट कंटेनर” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर “जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xv) क्रम संख्या 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ii) “प्री- पैकेज्ड और लेबल” वाक्यांश का अर्थ “प्री- पैकेज्ड क्मोडिटी” है, जिसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किए गए पैकेज जिसमें माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।”

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त मानी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2022

क्र. एफ ए 3-35-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-35-2017-1-पांच (49), दिनांक 26 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 26th July 2022

No. F A 3-35/2017/1/V(49) : In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the in this Department's notification No. F A-3-35/2017/1/V(63) dated 30.06.2017, namely :-

In the said notification,

(A) in the Schedule, -

- (i) against S. Nos. 9 and 22, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up in” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 26, for the entry in column (3), the entry “Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (iii) against S. Nos. 27, 29, 30B, 45, 46A, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up in” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;

- (iv) against S. No. 46B, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (v) against S. Nos. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 and 75, in column (3), for the portion beginning with “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (vi) against S. Nos. 77 and 78, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (vii) against S. No. 94, for the entry in column (3), the entry “(i)Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labelled.; (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (viii) against S. No. 95, in column (3), after the word “Murki”, the words and symbols “, other than pre-packaged and labelled” shall be inserted;
- (ix) against S. No. 97A, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up” and ending with the words “as specified in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (x) against S. No. 99, in column (3), the word “purified, ” shall be omitted;
- (xi) against S. No. 108, in column (3), for the portion beginning with the words “[other than those” and ending with the words “conditions as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (xiii) S. Nos. 118 and 122 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xiv) against S. No. 132A, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up” and ending with the words “as in the ANNEXURE I]”, the words “, other than pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (xv) S. No. 141 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (B) after the Schedule, in the Explanation, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means a ‘pre-packaged commodity’ as defined in clauses (1) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 18th day of July, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.